संख्या. 9/2016/09/आईडब्लूएमपी/85-16-30(परती)2014

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
अष्टम तल एल्डिको कापरेट टावर,
विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग लखनऊ दिनांक 24 मई, 2016

विषयः. प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना (पीएमएसकेवाई) के अन्तर्गत समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम आईडब्ल्यूएमपी हेतु उ0प्र0 में गठित स्टेट लेवेल नोडल एजेंसी (एस0एल0एन0ए0) तथा वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यू0सी0डी0सी0) में कार्यरत कार्मिकों के वेतन/मानदेय, यात्रा भत्ता तथा कार्यालय व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त रूपये 117,60 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक वन भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या.के.11012/23/2009/आईडब्लूएमपी(आई0एस0) (क्रमांक-यूपी/एसएलएनए/आईएस/1/2015-16/आईडब्लूएमपी) दिनांक 29 मार्च, 2016 एवं पत्र संख्या.के.11012/23/2009/आईडब्लूएमपी(आई0एस0) (क्रमांक-यूपी/एसएलएनए/आईएस/2/2015-16/आईडब्लूएमपी) दिनांक 29 मार्च, 2016 तथा आपके पत्र संख्या- 17/एस0एल0डी0सी0/2016-17, दिनांक 12 अप्रैल 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-12 के लेखाशीर्ष ''2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-101-राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईण्डब्ल्यूएमपी) (के.50/रा.50-के+रा.)-27-.सब्सिडी'' में प्राविधानित रू0 971248 हजार (रूपया सत्तानबे करोड़ बारह लाख अडतालीस हजार मात्र) के सापेक्ष आईडब्लूएमपी योजनान्तरर्गत संस्थानगत मद मे भारत सरकार द्वारा अवमुक्तत कुल धनराशि रू0 117.60 लाख (रूपया एक करोड़ सत्रह लाख साठ हजार, मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा परियोजना के कार्यान्व्यन हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। योजना के समाप्त होने पर अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) विभाग योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी स्तरों पर अपेक्षित कार्यवाही को स्पष्ट कर देंगे।

(3) उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के दिशा.निर्देशो/ध्गाइड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण.पत्र निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) योजनान्तर्गत होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय.व्ययक के अनुदान सं0-12 के लेखाशीर्ष ''2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-101-राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (के.50/रा.50-के+रा.)-27-.सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

(6) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च , 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या. 9**/2016/09/आईडब्लूएमपी/85-16-30(परती)2014 , तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित .

1. उप महानिरीक्षक वन भारत सरकारए ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग 11वा ब्लाक छठा तल लोधी रोड नई दिल्ली 110003 को उनके पत्र संख्या.के.11012/23/2009 /आईडब्लूएमपी(आई0एस0)(क्रमांक-यूपी/एसएलएनए/आईएस/1/2015-16/आईडब्लूएमपी) दिनांक 29 मार्च, 2016 एवं पत्र संख्या.के.11012/23/2009/आईडब्लूएमपी(आई0एस0)(क्रमांक-यूपी/एसएलएनए/आईएस/2/2016/आईडब्लूएमपी) दिनांक 29 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में।
2. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय आडिट प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारीए एस0एल0एन0ए0 विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष एवं प्रशासकए शारदा सहायक कमाण्ड परियोजनाए 23एसीए गोखले मार्ग लखनऊ।
7. अध्यक्ष एवं प्रशासक रामगंगा कमाण्ड परियोजना-177 एच-2/193 पाण्डुनगर कानपुर।
8. मुख्य वित्तीय सलाहकारए शारदा सहायक समादेश परियोजनाए लखनऊ/रामगंगा कमाण्ड परियोजना कानपुर।
9. प्रशासनिक अधिकारीए स्टेट लेविल डाटा सेन्टर आईडब्लूएमपी अष्टम तलए एल्डिको कापरेट टावर विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
10. संयुक्त निदेशक समादेश बन्धु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।